



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 210) पटना, मंगलवार, 17 मार्च 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 मार्च 2020

एस०ओ० 90, दिनांक 17 मार्च 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियमावली 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “आयोजनकर्ता राज्य” पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।”

[(सं0 सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-8)-649)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मार्च 2020

एस०ओ० 90, दिनांक 17 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-8)-649)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th March 2020

S.O. 90 dated the 17th March 2020--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, the expression “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)-649)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 210-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>